State Vigilance Bureau **Ambala Range Ambala**

वर्ष 2013 के दौरान राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला में दर्ज मुकदमें।

प्रथम सूचना रिपोर्ट

जिलाः– अम्बाला **थानाः–** रा0 चौ0 ब्यूरो अम्बाला **वर्षः–** 2013 **प्र0 सु0 रि0 सं0** 1

दिनांक 23.01.2013 **धारा** 7 पी सी एक्ट 1988 **थाना** एस.वी.बी. अम्बाला।

अपराध की घटनाः– दिन बुधवार **दिनांक 23**.01.2013

थाना में सूचना प्राप्त होने की तारीखः– 23.01.2013 **समय** 04:00 पी.एम.

रोजनामचा रिपोर्ट कम संख्या 10 **समय 04**:00 पी.एम

घटना स्थलः थाना से दिषा व दूरी – उतर दक्षिण में 80 कि.मी. ।

बीट / देह : कैथल।

षिकायत कर्ता – श्री रकेष कुमार पुत्र श्री मुंगिया राम अम्बा कलौनी वार्ड नं0–4, चीका जिला कैथल।

विरूद्ध :– राम दत्त जे0ई0 हुड्डा सैक्टर 20 कैथल, व एस.डी.ओ.,

प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरणः–

नकल तहरीर जैल है सेवा में, इन्सपैक्टर साहब विजिलैंस कैथल, श्रीमान् जी, निवेदन यह है कि मैं कुमार पुत्र श्री मुंगिया राम अम्बा कलौनी वार्ड नं0–4, चीका जिला कैथल का रहने वाला हूं। ठेकेदारी का कार्य करता हूं। मेरा लाईसैंस दी कल्याण श्रम एंव निर्माण समिति लि. चीका के नाम से है। मैनें XEN HUDA KARNAL के वर्क औडर नं0 15705 दि0 27.07.2012 के अनुसार चीका के सैक्टर आर–3 में खराब हुई सिवर लाईनो मेन होलस ए सी पाईप लाईनों की मुरम्मत व सिवर लाईनों की सफाई का कार्य करवाया था। इस कार्य का ठेका मुझे 1,70,000/– रू. में दिया गया था। मैनें कार्य करवाने के बाद पहले एक लाख रूप्ये का बिल तैयार करके श्री रामदत जे0ई0 हुडडा सैक्टर–20 कैथल के पास दफतर में दिया था। उस समय श्री रामदत जे0ई0 ने बिल पास करवाने के लिए ढाई प्रतिषत अपने नाम के व ढाई प्रतिषत एस डी ओ. के नाम के मांगे थे जो मैनें बिल पास होकर आने के बाद देने का वादा कर

दिया था जब मुझे एक लाख रू. का चैक मिल गया तो मैनें जे0ई0 को कोई पैसा नहीं दिया जब मैनें बाकी के 70,000/— रू0 का बिल तैयार करके रामदत जे0ई0 को उसके दफतर में दिया तो रामदत जे0ई0 ने मुझे कहा की पहले एक लाख रू0 का चैक लेकर बैठ गया था अब तेरा यह बिल पास करवाने के लिए तभी करनाल भेजा जाएगा जब 5 प्रतिषत के हिसाब से मेरे व एस डी ओ के नाम के 8500 रू0 देगा मैनें रामदत जे0ई0 को कहा की मुझे इस काम में कुछ नहीं बचा है। कुछ पैसे कम कर लो मेरे काफी कहने सुनने पर रामदत जे0ई0 ने कहा की 4000/— रू0 मेरे नाम के व 4000/— रू. एस डी ओ के नाम के जिस दिन लाकर दे देगा उसी दिन तेरे बिल पर एस डी ओ के हस्ताक्षर करवाकर पास होने के लिए बिल को करनाल भेज दिया जाएगा। मैं 8000/— रू0 का इंतजाम करके आठ हजार रूप्ये अपने साथ लेकर अपने करीब के श्री चांद राम पुत्र मांगे राम को साथ लेकर आया हूं। मैं जे0ई0 रामदत को रिष्वत देना नहीं चाहता और उसे 8000/— हजार रू0 रिष्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी दरखास पर रामदत जे.ई0 व हुडडा कैथल के एस. डी. ओ. के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें हस्ताक्षर अंग्रेजी राकेष कुमार पुत्र श्री मुंगिया राम वासी वार्ड नं0 4 अम्बा कलौनी, चीका त0 गुहला जिला कैथल 9896577638 कार्यवाही पुलिसः— आज मन निरीक्षक अपने साथी कर्मचारियों के साथ अपने कार्यालय सब युनिट राज्य चौकसी ब्यूरो, में हाजिर हूं कि राकेष कुमार पुत्र श्री मुंगिया राम, अम्बा कलौनी, वार्ड नं0—4, चीका ने श्री चांद राम पुत्र मांगे राम निवासी वार्ड नं0 5 चीका के साथ हाजिर कार्यालय आकर एक दरखास्त रामदत जे.ई0 व एस. डी. ओ. हुडडा कैथल के खिलाफ बिल पास करने की एवज में 8000 रू0 रिष्वत मांगे जाने के बारे में पेष की मुइई राकेष ने 1000/1000 रू0 के 8 नोट नम्बरी क्रमाषः— (1) 8ES952705 (2) 6CU 358030 (3) 0AP 286793 (4) 5BP 636762 (5) 5CD 824048 (6) 4BT 227640 (7) 4BC 367463 (8) 8DE 991402 भी पेष किये जिनको अलग से सुचि नोट तैयार करके कब्जा पुलिस में लिये सुचि नोट पर मुदई के हस्ताक्षर करवाये मजबुन दरखास्त से सुर्त जुर्म 7 पी सी एक्ट 1988 का होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त सि0 राज सिंह नं0 1177/करनाल के सेवा में भेजी जा रही है। मुकदमा दर्ज करके नकल मिषल पुलिस मय असल तहरीर

आईन्दा सि0 वापिस भिजवाई जावें स्पैषल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रेट एंव अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जावें मन निरीक्षक मय ए एस आई भीम सिंह, एच0 सी हिम्मत सिंह 99/करनाल, सि0–1 जसबीर सिंह 848/कैथल, सि0 संजय कुमार नं0 532/पकचूला, सि0 सुषील कुमार नं0 370/कुरुक्षेत्र व सवारी गाड़ी सरकारी नम्बर HR-37-B-8686 जिसका चालक सि0–1 मलकीत सिंह 848/जींद है के मुदई रकेष व उसके साथ आए चांद राम को साथ लेकर बराये करवाने नियुक्त डयुटी मैजिस्ट्रेट व रेड़ रवाना उपायुक्त कार्यालय कैथल का होता हूं तफतीषी बैग हमरा लिया गया हस्ताक्षर हिन्दी रणबीर सिंह, नि0 राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र कैथल। दिनांक 23.01.2013 समय 02:00 P.M. अजः– राज्य चौकसी ब्यूरो, युनिट कैथल अज थाना एस0 वी0 बी0 अम्बाला बा हवाला रपट नं0 10 समय 4:00 P.M. पर उपरोक्त तहरीर बदस्त सि0 राज सिंह नं0 1177/करनाल, राज्य चौकसी ब्यूरो, युनिट कैथल बाबत मांगने रिष्वत बर खिलाफ रामदत जे0ई0 व एस.डी.ओ. हुड्डा कैथल मर्तबा श्री रणबीर सिंह निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र कैथल थाना में प्राप्त हुई जिस पर मुकदमा न0 01 दिनांक 23.01.13 धारा 7 पी सी एक्ट 1988 दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्अ की प्रति बतौर स्पैषल रिपोर्ट मय असल तहरीर अरिन्दा सि0 राज सिंह नं0 1177/करनाल इलाका मैजिस्ट्रेट साहब कैथल भेजकर हिदायत दी गई कि पहले स्पैषल रिपोर्ट देकर फिर नकल मिषल पुलिस मय असल तहरीर बर मौका पर अनुसंधान अधिकारी के पास जाएगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां उच्च अधिकारियों की सेवा में अलग से भेजी जा रही है।

हस्ताक्षर कार्यभारी अधिकारी, थाना

नाम मदन लाल,
पद, निरीक्षक
नम्बर, नं0 A/6